रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 430] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 1996/अग्रहायण 28, 1918
No. 430] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 1996/AGRAHAYANA 28, 1918

## संचार मंत्रालय

(डब्ल्यू. पी. सी. विंग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1996

**सा.का.नि. 574 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेडियो, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट रिकार्डर सेट (अनुज्ञप्ति से छूट) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेडियो, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट रिकार्डर सेट (अनुज्ञप्ति से छूट) संशोधन नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेडियो, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट रिकार्डर सेट (अनुज्ञप्ति से छूट) नियम, 1985 में, नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

"4. नियम 2 और नियम 3 में किसी बात के होते हुए भी, विशेष एन्टेना जिसके अन्तर्गत डिश एन्टेना, उपग्रह डिकोडर और सहयुक्त अग्रसिरा संपरिवर्तक भी है, का प्रयोग 'प्रसारण उपग्रह सेवा' या स्थिर उपग्रह सेवा में क्रियाशील उपग्रह से सीधे स्थिर और चल वस्तुओं के अस्थायी बिम्बों को ग्रहण करने के लिए किया गया है या किया जा सकता है, भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) के प्रयोजनार्थ बेतार तार यांत्रिकी साधित्र समझा जाएगा और कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 या भारतीय बेतार तार यांत्रिकी (कब्जा) नियम, 1965 या वाणिज्यिक प्रसार रिसीवर अनुज्ञप्ति व्यौहारी नियम, 1965 के अधीन,

(क) भारत के किसी भाग में ऐसे उपस्कर जो 4800 मैगाहर्ट्ज से अधिक के आवृति बैंडों में संकेतों के अभिग्रहण में समर्थ है, और

(ख) ऐसे उपस्करों में जो जम्मू-कश्मीर, मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तथा अन्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में सभी बैंडों में संकेतों के अधिग्रहण में समर्थ हैं।

केन्द्रीय सरकार से अनुज्ञप्ति के बिना स्थापित नहीं करेगा, अनुरक्षण या कार्य नहीं करेगा, या कब्जे में नहीं रखेगा या व्यौहार नहीं करेगा।"

[सं. आर.-11014/7/90-एल. आर. (भाग)]

एस. वैंकटसुब्रह्मण्यम्, सहायक बेतार सलाहकार

**पाद टिप्पण :** मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 150(अ), तारीख 16 मार्च, 1985 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित राजपत्र अधिसूचना द्वारा संशोधन किए गए :—

सा.का.नि. 926/86, तारीख 25-10-1986

सा.का.नि. 623/89, तारीख 19 अगस्त, 1989

सा.का.नि. 188/94, तारीख 16-4-1' 94.

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

### (W P C Wing)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 1996

**G.S.R. 574 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and section 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Radio, Television and Video Cassette Recorder Sets (exemption from Licensing Requirements) Rules, 1985, namely:—

1. (1) These rules may be called the Radio, Television and Video Cassette Recorder Sets (exemption from Licensing Requirements) Amendment Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Radio, Television and Video Cassette Recorder Sets (exemption from Licensing Requirements) Rules, 1985, the Rule 4 shall be substituted with the following :

"4. Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, any special antenna including dish antenna, satellite decoder and associated front-end convertor used or capable of being used for the reception of transient images of fixed and moving objects, direct from satellite operating in "Broadcasting satellite service" or "Fixed satellite service", shall be deemed to be wireless telegraphy apparatus for the purpose of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), and no person shall establish, maintain or work, or possess, or deal, without a licence from the Central Government,

(a) in such equipment capable of receiving signals in frequency bands above 4800 MHz in any part of India; and

(b) in such equipment capable of receiving signals in all bands, in the areas of Jammu and Kashmir, Meghalaya, Assam, Nagaland, Mizoram, Tripura, Manipur, Arunachal Pradesh and in the Union territories of Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep & Minicoy Islands,

under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) or the Indian Wireless Telegraphy (Possession) Rules, 1965 or the Commercial Broadcast Receiver Licensing (Dealer) Rules, 1965, as the case may be."

[No. R-11014/7/90-LR (Pt.)]
S. VENKATASUBRAMANIAN,
Asstt. Wireless Adviser

**Foot Note :** Principal Rules were published in the Gazette of India vide notification No. G.S.R. 150(E) dated 16th March, 1985 and subsequently amended vide Gazette notification Nos.—

GSR No. 926/86 dated 25-10-1986
GSR No. 623/89 dated 19th August, 1989
GSR No. 188/94 dated 16-4-1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054— 1996